

कुत्तों के बढ़ते हमलों के बीच अब प्रशासन की जवाबदेही का सवाल

शिमला/शैल। शिमला समेत हिमाचल में आवारा कुत्तों के काटने और हमलों की समस्या लगातार चिंता बढ़ा रही है। शहरों की सड़कों से लेकर गांवों तक लोगों को आवारा कुत्तों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने नगर निकायों, पंचायतों और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी साफ कर दी है। अब हर जिले में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए कम से कम एक पूरी तरह काम करने वाला पशु जन्म नियंत्रण केंद्र बनाना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल केंद्र खोलने से काम नहीं चलेगा। वहां पशु डॉक्टर, प्रशिक्षित कर्मचारी, ऑपरेशन की सुविधा और जरूरी सामान होना चाहिए। नसबंदी और टीकाकरण का काम लगातार होना चाहिए। हर जिले में आवारा कुत्तों की संख्या और जरूरत को देखते हुए एक से ज्यादा केंद्र भी बनाए जा सकते हैं। साथ ही हर काम का रिकॉर्ड रखना और उसकी नियमित निगरानी करना जरूरी होगा।

हिमाचल में इस आदेश के बाद अब सवाल सीधे स्थानीय प्रशासन से जुड़े हैं। शिमला जैसे शहर में नगर निगम को यह देखना होगा कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए उपलब्ध व्यवस्था कितनी है और वह जमीन पर कितनी प्रभावी है। दूसरे शहरों और कस्बों में नगर निकायों की भी यही जिम्मेदारी होगी। गांवों में पंचायतों को भी समस्या की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचाने और स्थानीय स्तर पर सहयोग करने की भूमिका निभानी होगी।

अब केवल कुत्ते के काटने के बाद कारवाई करना पर्याप्त नहीं होगा। प्रशासन को पहले से व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जमीन पर तैयारी अधूरी

बनानी होगी। किस क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या ज्यादा है, कितनी नसबंदी हुई, कितने कुत्तों को टीका लगाया गया और किन क्षेत्रों में ज्यादा काम की जरूरत है-इन सबका रिकॉर्ड रखना होगा।

कुत्ते के काटने के बाद इलाज की व्यवस्था पर भी अदालत ने जोर दिया है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एंटी-रेबीज वैक्सीन और जरूरी इम्युनोग्लोबुलिन उपलब्ध होना चाहिए, ताकि पीड़ित व्यक्ति को समय पर उपचार मिल सके।

जिन इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है और काटने या आक्रामक हमलों की

घटनाएं लगातार हो रही हैं, वहां कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। रेबीज से संक्रमित, गंभीर रूप से बीमार या विशेषज्ञों की जांच में खतरनाक पाए गए कुत्तों के मामले में कानून के तहत कारवाई की जा सकती है। ऐसी कारवाई तय नियमों और पशु चिकित्सकों की जांच के आधार पर ही होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को अपने-अपने राज्यों में आदेश के पालन की निगरानी करने को कहा है। इसका मतलब है कि हिमाचल में भी नगर निकायों, पंचायतों और जिला

प्रशासन को अपनी व्यवस्था का हिसाब देना होगा।

राज्य के मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश के पालन की जानकारी उच्च न्यायालय में देनी होगी। उच्च न्यायालय हर चार महीने में इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा। पहली रिपोर्ट 17 नवंबर 2026 से पहले भेजी जानी है।

इसका सीधा मतलब है कि अब आवारा कुत्तों की समस्या को केवल स्थानीय निकायों की छोटी समस्या मानकर नहीं छोड़ा जा सकेगा। हर जिले में यह देखना होगा कि पशु जन्म नियंत्रण केंद्र

वास्तव में काम कर रहा है या नहीं, नसबंदी और टीकाकरण हो रहा है या नहीं और कुत्ते के काटने वाले लोगों को सरकारी अस्पताल में तुरंत इलाज मिल रहा है या नहीं।

अगर अधिकारी अदालत के निर्देशों का लगातार पालन नहीं करते या जानबूझकर लापरवाही करते हैं तो उच्च न्यायालय कारवाई कर सकते हैं। इसमें अवमानना की कारवाई भी शामिल हो सकती है।

शिमला और हिमाचल में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या के बीच सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था बनाने की दिशा तो तय कर दी है। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही

शेष पृष्ठ 8 पर.....

मुख्यमंत्री बोले विस्तार होगा प्रभारी बोली प्रस्ताव नहीं आया

शिमला/शैल। हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के भीतर की तस्वीर अब सियासी सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 11 दिसंबर से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की बात कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी राजनी पाटिल का कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है। इसी विरोधाभास को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सड़क से लेकर विधानसभा तक विधायकों को मंत्री बनाने के दावे करते हैं, लेकिन

जब बात कांग्रेस आलाकमान के सामने प्रस्ताव रखने की आती है तो खामोश हो जाते हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी की प्रभारी को अंधेरे में रखकर विधायकों को मंत्री बनाने का भरोसा देकर अपना गुट मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

मामला इसलिए गरम है क्योंकि मुख्यमंत्री ने सोलन में कहा कि 11 दिसंबर से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हालांकि उन्होंने किसी नए मंत्री का नाम नहीं बताया।

इसके बाद कांग्रेस प्रभारी राजनी पाटिल ने स्थिति का दूसरा पक्ष सामने रखा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी औपचारिक

प्रस्ताव नहीं आया है। पाटिल ने स्पष्ट किया कि जब मुख्यमंत्री प्रस्ताव भेजेंगे, तब उसे पार्टी आलाकमान के सामने रखा जाएगा।

जयराम ठाकुर ने कहा कि करीब एक साल पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा और बाद में जनसभा में एक विधायक को मंत्री बनाने की बात कही थी, लेकिन अब तक उस घोषणा पर अमल नहीं हुआ। जयराम ने दावा किया कि सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ने के साथ अब सवाल यह भी है कि जिस मंत्री पद को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, उसका फैसला आखिर कब होगा।

मुख्यमंत्री का रुख यही है कि विस्तार होगा। सितंबर में सुक्खू

ने कहा था कि सरकार के चार साल 11 दिसंबर को पूरे होंगे और उससे पहले खाली मंत्री पद भरने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विस्तार के साथ विभागों में फेरबदल हो सकता है। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि मुख्यमंत्री प्रस्ताव कब भेजते हैं और आलाकमान उस पर क्या फैसला करता है।

मंत्रिमंडल में एक पद खाली है, लेकिन उसके दावेदार कई हैं। ऐसे में फैसला केवल एक नियुक्ति का नहीं, बल्कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल का भी संकेत देगा। फिलहाल इतना साफ है कि मंत्री पद का इंतजार जितना लंबा होगा, कांग्रेस के भीतर की सियासत उतनी ही खुलकर सामने आयेगी है।

युवाओं से स्वच्छ और नशामुक्त हिमाचल बनाने में आगे आने का आह्वान

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने युवाओं से स्वच्छ, स्वस्थ और नशामुक्त हिमाचल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान

कार्यक्रम में शिमला और आसपास के स्कूलों के 400 से अधिक विद्यार्थी तथा करीब 150 शिक्षक, अभिभावक और रोटरी सदस्य शामिल हुए। इस



किया। वह रोटरी क्लब शिमला मिडटाउन के वार्षिक कार्यक्रम 'मंथन-2026' के 25वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम के 25 वर्ष पूरे होने पर क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों को बधाई दी।

दौरान पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या और नशे की रोकथाम से जुड़े विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं और गतिविधियां आयोजित की गईं।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता और उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल के

जंगल, नदियां, जल स्रोत, ग्लेशियर, पहाड़ और जैव विविधता प्रदेश की अमूल्य संपत्ति हैं। इन्हें सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से पानी बचाने, जंगलों की रक्षा करने, कचरे का सही प्रबंधन करने, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की अपील की।

नशे के मुद्दे पर राज्यपाल ने कहा कि इसका असर केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता, बल्कि परिवार और पूरे समाज पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में परिवार, स्कूल, समाज और युवाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और जरूरत में अपने साथियों की मदद करने को कहा।

राज्यपाल ने 'नशा मुक्त भारत अभियान' का उल्लेख करते हुए नशामुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयास करने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों और टीमों को पुरस्कार प्रदान किए।

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज

शिमला/शैल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के प्रस्तावित एम्स बिलासपुर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।



राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने दौरे के मद्देनजर एनएच-205 पर कलर बाला गांव से नौणी चौक तक चल रहे फोरलेन कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।

एनएचआई अधिकारियों ने राज्यपाल को फोरलेन की प्रगति और एम्स के आसपास यातायात व्यवस्था के लिए किए जा रहे इंतजामों की जानकारी दी। 17.450 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को सितंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान एम्स तक आवागमन सुचारू और सुरक्षित रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सड़क, कनेक्टिविटी और यातायात से जुड़े जरूरी काम प्राथमिकता के आधार पर पूरे करने तथा सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के साथ आम लोगों की आवाजाही भी प्रभावित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

भारतीय सेना के लिए स्वदेशी ड्रोन बनाने वाले सर्वेश शर्मा सम्मानित

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर के छात्र सर्वेश शर्मा को भारतीय सेना के लिए स्वदेशी ड्रोन तकनीक विकसित करने पर सम्मानित किया। सर्वेश को रक्षा मंत्रालय से इस

युवाओं की प्रतिभा को दिखाती है। राज्यपाल ने सर्वेश से ड्रोन की तकनीक, इसके विकास में आई चुनौतियों और आगे की योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने युवाओं से तकनीक, अनुसंधान और उद्यमिता के



परियोजना के लिए 3.5 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिली है।

सर्वेश ने सेना के लिए 'रुद्र एज टी-1 (स्पेक्ट्रा)' ड्रोन विकसित किया है। राज्यपाल ने उनकी तकनीकी क्षमता और नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि हिमाचल के

क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार देने वाला बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। ऐसी पहल देश में स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है।

'द ग्रेट खली' ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की

शिमला/शैल। 'द ग्रेट खली' के नाम से विख्यात पहलवान एवं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर दलीप सिंह राणा ने लोक भवन में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की।



राज्यपाल ने दलीप सिंह राणा को सम्मानित करते हुए हिमाचल प्रदेश से अंतरराष्ट्रीय कुश्ती के मंच तक उनकी उल्लेखनीय यात्रा की सराहना की। उन्होंने कहा कि राणा की उपलब्धियों ने हिमाचल प्रदेश और भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है तथा उनके संघर्ष और सफलता ने युवा पीढ़ी को दृढ़ संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है।

इस दौरान राज्यपाल और दलीप सिंह राणा ने हिमाचल प्रदेश में खेल, युवा सशक्तिकरण और खेल प्रतिभाओं

को प्रोत्साहन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

दलीप सिंह राणा ने पेशेवर कुश्ती के क्षेत्र में अपने अनुभवों और सफर को साझा करते हुए खेलों को बढ़ावा देने तथा युवा पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे अपने प्रयासों पर भी चर्चा की।

राज्यपाल ने युवाओं को विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए अधिक अवसर, उचित मार्गदर्शन और उपयुक्त मंच उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य के युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह और प्रतिभा को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में खेलों के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने राज्य के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

राज्यपाल ने दलीप सिंह राणा को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और खेल एवं युवा विकास के क्षेत्र में उनके निरंतर प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी।

डिग्री के साथ कौशल और रोजगार क्षमता जरूरी:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है। विश्वविद्यालयों को युवाओं को ज्ञान के साथ कौशल, आत्मविश्वास, रोजगार क्षमता और उद्यमिता के अवसर भी उपलब्ध करवाने चाहिए।

राज्यपाल पालमपुर में श्री साई विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की पहचान उनके ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और समाज के प्रति योगदान से होती है। हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थान स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को उद्योग जगत के साथ संबंध मजबूत करने चाहिए। युवाओं का लक्ष्य केवल नौकरी हासिल करना नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनना भी होना चाहिए। इसके लिए स्टार्टअप,

नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना जरूरी है।

राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा



नीति-2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा में कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार और बहुविषयक शिक्षा पर जोर दिया गया है। विश्वविद्यालयों को युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करना चाहिए।

उन्होंने श्री साई विश्वविद्यालय की पर्वतीय और पर्वतारोहण गतिविधियों की सराहना की। कहा कि हिमाचल के

स्कूली बच्चों को अब सप्ताह में दो बार मिलेगा अतिरिक्त पौष्टिक आहार

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के

ताजा फल दिया जाएगा। बच्चों और अभिभावकों की पसंद



विद्यार्थियों को सप्ताह में दो बार अतिरिक्त पौष्टिक आहार देने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना में बदलाव के तहत अब बुधवार और शुक्रवार को बच्चों को उबला अंडा या

के अनुसार अंडा, केला या सेब उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे पहले यह आहार सप्ताह में एक बार दिया जाता था। यह व्यवस्था नियमित मिड-डे-मील के अतिरिक्त होगी।

हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना-2027 का दूसरा चरण पूरा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना-के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना का कार्य 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक किया गया। प्रदेश सरकार ने लोगों से जनगणना कर्मियों को पूरा सहयोग देने और सही व पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। लोगों से अपने वर्तमान निवास स्थान पर पंजीकरण

सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति की गणना न छूटे। सरकार के अनुसार जनगणना में दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और इसका उपयोग केवल आंकड़े तैयार करने, विकास योजनाओं और नीति निर्माण के लिए किया जाएगा। जनगणना देश के विकास और बेहतर योजनाएं बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक: जे.पी. भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

हिमाचल अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेगा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल अपने अधिकारों और हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। सराहां में वामन द्वादशी मेले के समापन पर उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना के समझौते से राज्य के करीब 3,000 करोड़ रुपये बचेंगे। परियोजना शुरू होने के बाद हिमाचल को हर साल 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये राजस्व मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी की लंबित राशि के मामले में भी राज्य को सकारात्मक संकेत मिले हैं। उन्होंने

वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे राज्य के खजाने में 401 करोड़ रुपये आए हैं और होटल से करीब दो करोड़ रुपये मासिक राजस्व मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से हिमाचल को 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन-पेंशन दे रही है। उन्होंने भरोसा दिया कि महंगाई भत्ते की शेष किस्तों का भुगतान भी उचित समय पर

किया जाएगा।

सुक्खू ने कहा कि सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना बहाल की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए दूध के दाम बढ़ाने और प्राकृतिक खेती की उपज को समर्थन मूल्य देने जैसे कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों के लिए मकान निर्माण की सहायता 1.5 लाख से बढ़ाकर 8.5 लाख रुपये करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपये की सहायता अभी राज्य को नहीं मिली है।

पच्छाद में 237 करोड़ की छः विकास परियोजनाओं का लोकार्पण - शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान 237.23 करोड़ रुपये की छह विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इनमें पेयजल, सिंचाई और सड़क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने पच्छाद तहसील के कई गांवों के लिए गिरि नदी से 26.51 करोड़ रुपये की उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया। इस योजना से नारग-नोहरा, डिलमन, सरिया, महलोग लाल टीकर, दाड़ो देवरिया द्राबली, सरोल चमेजी, वासनी और नैनाटिककर सहित आसपास के गांवों को पानी की सुविधा मिलेगी।

राजगढ़ तहसील में छोग टाली और सानियो दीदग की बस्तियों के लिए 1.57 करोड़ रुपये की पेयजल योजना शुरू की गई। शाय-सनोरा पंचायत के धनच चुवरिया और आसपास के गांवों के लिए 1.25 करोड़ रुपये की उठाऊ सिंचाई योजना तथा मलोह मशोग और आसपास के गांवों के लिए 1.52 करोड़ रुपये की उठाऊ सिंचाई योजना का भी उद्घाटन किया गया।

इसके अलावा पच्छाद तहसील की बणी-बरवेली, सुरला-जनोट और साधना-घाट पंचायतों के गांवों के लिए 2.86 करोड़ रुपये की पेयजल योजना भी शुरू की गई।

मुख्यमंत्री ने 203.52 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सड़क, पेयजल और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सड़क

सकेंगे। परिवहन समय कम होने से



से सेब उत्पादकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे बागवान अपने उत्पाद आसानी से मंडियों और संग्रहण केंद्रों तक पहुंचा

फसल के बाद होने वाले नुकसान को घटाने और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

किताब घरों से हिमाचल के लेखकों को मिलेगा नया मंच सात शहरों में शुरू हुए किताब घर, नाहन और चंबा में भी जल्द खुलेंगे

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में शुरू किए गए 'किताब घर' हिमाचल के साहित्य, संस्कृति और इतिहास को पाठकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे स्थानीय लेखकों को अपनी पुस्तकों के लिए व्यापक पाठक वर्ग मिलेगा और प्रदेश में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि अभी शिमला के गेयटी थियेटर, कुल्लू के देव सदन, सोलन के कला केंद्र, उना के लता मंगेशकर कला केंद्र, हमीरपुर के संस्कृति सदन, बिलासपुर और मंडी में किताब घर चल रहे हैं। नाहन, सिरमौर और चंबा में ऑडिटोरियम का निर्माण पूरा होने के बाद वहां भी किताब घर खोले

जाएंगे।

किताब घरों में भाषा एवं संस्कृति विभाग और हिमाचल कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी की प्रकाशित पुस्तकें और पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश के लेखकों की पुस्तकें भी बिक्री के लिए रखी जा रही हैं।

विभाग की निदेशक रीमा कश्यप ने बताया कि एक पुस्तक की अधिकतम चार प्रतियां और एक लेखक की अधिकतम पांच अलग-अलग पुस्तकें बिक्री के लिए दी जा सकती हैं। बिक्री राशि में से 10 प्रतिशत कमीशन काटकर शेष राशि हर तिमाही लेखक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। लेखकों को अपनी पुस्तकों पर छूट तय करने की सुविधा भी होगी।

नई दिल्ली में 8-9 अक्टूबर को होगा महिला एवं बाल विकास शिखर सम्मेलन

शिमला/शैल। महिला एवं बाल विकास से जुड़े विषयों पर दो दिवसीय शिखर सम्मेलन 8 और 9 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली के सुषमा स्वरज भवन में आयोजित किया जाएगा। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की।

सम्मेलन में आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण और प्रारंभिक शिक्षा का प्रभावी केंद्र बनाने, बाल संरक्षण व्यवस्था मजबूत करने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए संस्थागत एवं कानूनी व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के बेहतर परिणाम पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर को सम्मेलन के समापन सत्र में उपस्थित होंगे।

डॉ. शांडिल ने कहा कि सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के कल्याण से जुड़े मुद्दों और वास्तविक जरूरतों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके लिए महिला एवं

शांडिल ने वर्चुअल बैठक में लिया हिस्सा, हिमाचल से जुड़े मुद्दे और सुझाव सम्मेलन में रखे जाएंगे

बाल विकास विभाग विस्तृत प्रस्तुति तैयार करेगा। इसमें प्रदेश के अनुभवों और ऐसे सुझावों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें



दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी

बेहतर तरीके से पहुंचाना है।

बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, विभिन्न राज्यों के मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एमआरआई मशीन शुरू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक ऑटोमेटेड लैब स्थापित की जा रही हैं। इससे एक



चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 23 करोड़ रुपये की एमआरआई मशीन का शुभारम्भ किया। उन्होंने 2.29 करोड़ रुपये की लागत से टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर की लाइनैक और सीटी-सिम्यूलेटर मशीन भी शुरू की। इसके अलावा 51 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पीईटी स्कैन ब्लॉक की आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का प्रयास है कि लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े और आधुनिक सुविधाएं प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में ही उपलब्ध हों।

ही सैंपल से कई जांचें की जा सकेंगी। सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेषज्ञ सेवाओं को मजबूत करने पर भी काम कर रही है।

नेरचौक मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में 123 नर्स तैनात हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के अनुसार और नर्सों की भर्ती की जाएगी। आईसीयू में 25 से 30 अतिरिक्त बेड बढ़ाने की भी योजना है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में पीजी की 320 सीटें बढ़ाई जाएंगी। नेरचौक और टांडा मेडिकल कॉलेज में एसआरशिप शुरू की गई है। स्वास्थ्य संस्थानों के लिए तकनीकी और पैरामेडिकल स्टाफ के 800 पद भी स्वीकृत किए गए हैं।

20वें एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को मिलेंगे 5.33 करोड़

कबड्डी खिलाड़ियों को 33-33 लाख, सावन बरवाल को 2.50 करोड़ और सीमा कुमारी को 1.50 करोड़

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने जापान के आइची-नागोया में आयोजित 20वें एशियाई खेलों में हिमाचल के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए कुल 5.33 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार राशि में लगातार बढ़ोतरी कर रही है।

एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कबड्डी टीम की हिमाचली खिलाड़ियों पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 33-33 लाख रुपये दिए जाएंगे। चारों खिलाड़ियों को कुल 1.33 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। पुरुषों की मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को 2.50 करोड़ रुपये और महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में

कांस्य पदक जीतने वाली सीमा कुमारी को 1.50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक के लिए 5 करोड़, रजत के लिए 3 करोड़ और कांस्य के लिए 2 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। एशियाई एवं पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण के लिए 4 करोड़, रजत के लिए 2.50 करोड़ और कांस्य के लिए 1.50 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।

राष्ट्रमंडल एवं पैरा राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक के लिए 3 करोड़, रजत के लिए 2 करोड़ और कांस्य के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान है। खिलाड़ियों की यात्रा सुविधा भी बढ़ाई गई है। 200 किलोमीटर तक एसी श्री-टियर और इससे अधिक दूरी पर इकोनॉमी क्लास हवाई यात्रा का किराया दिया जा रहा है।

हमीरपुर के छात्र ने सेना के लिए तैयार किया ड्रोन

शिमला/शैल। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर (बड़) के कम्प्यूटर साइंस छात्र सर्वेश शर्मा ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी ड्रोन तकनीक विकसित कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा मंत्रालय ने उनके प्रोजेक्ट 'रुद्रा एज टी-1 (स्पेक्ट्र)' के लिए 3.5 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मंजूर की है।

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सर्वेश शर्मा को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि उनका नवाचार हिमाचल के युवाओं की तकनीकी क्षमता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी तकनीक से तैयार किया जा रहा यह ड्रोन सेना के लिए सीमा पर निगरानी में उपयोगी हो सकता है।

मंत्री के अनुसार इस ड्रोन की खासियत यह है कि इसे दुश्मन के रडार से बचने और जैमर के प्रभाव से

सुरक्षित रखने की तकनीक पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना देश में स्वदेशी ड्रोन तकनीक को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

धर्माणी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को तकनीकी शिक्षा के साथ नए प्रयोग और अनुसंधान के अवसर दिए जा रहे हैं। तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों को कजाकिस्तान और जापान जैसे देशों के शैक्षणिक भ्रमण भी करवाए गए हैं, ताकि उन्हें आधुनिक तकनीक और वैश्विक स्तर के काम से परिचित कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि सर्वेश शर्मा की उपलब्धि दूसरे युवाओं को भी नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मंत्री ने सर्वेश को परियोजना की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।

थोड़ा सा अभ्यास ढेर सारे उपदेशों से अधिक मूल्यवान है।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

वोट की सफाई के नाम पर वोटर ही कटघरे में क्यों?



गौतम चौधरी

लोकतंत्र में चुनाव की शुरुआत मतदान केंद्र से नहीं, मतदाता सूची से होती है। किसी नागरिक का नाम सूची में है या नहीं, यही उसके मतदान का अधिकार तय करता है। इसलिए मतदाता सूची में बदलाव महज प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। एसआईआर को लेकर उठे विवाद ने इसी बुनियादी सवाल को सामने ला दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कई विपक्षी दल चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और 'मत चोरी' के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष ने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और जांच की मांग की है।

यह बिल्कुल सही है कि जिस दिन वोटर को अपना वोट बचाने के लिए खुद को साबित करना पड़े, उस दिन सवाल सिर्फ वोट का नहीं, लोकतंत्र का होता है। मतदाता सूची की सफाई के नाम पर अगर एक भी पात्र नागरिक अपने ही देश में अपने वोट का हकदार होने का सबूत देने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने लगे, तो सवाल उठना स्वाभाविक है इसमें गलती मतदाता की है या व्यवस्था की?

एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर देश के कई हिस्सों से सामने आ रही तस्वीर इसी सवाल को और गंभीर बना रही है। मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित नाम हटाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा नाम हटाने में नहीं, सही नाम बचाने में होती है। बिहार में लाखों नाम प्रारूप मतदाता सूची से बाहर रह गये। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपने नाम और अधिकार को लेकर अपील की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। कर्नाटक में फॉर्म-7 के आंकड़ों और थोक में दाखिल आपत्तियों को लेकर सवाल उठे। इन घटनाओं को अलग-अलग प्रशासनिक घटनाएं कहकर खत्म किया जा सकता है, लेकिन जब एक ही तरह की चिंताएं अलग-अलग राज्यों से सामने आने लगे तो देश को जवाब चाहिए। क्योंकि सवाल अब यह नहीं रह गया है कि कितने फर्जी नाम हटे। सवाल यह है कि इस पूरी कवायद में कितने असली वोटर अनजाने में कटघरे में खड़े कर दिए गए? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी नागरिक का नाम गलत तरीके से हट गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?

यहीं से एसआईआर का मामला चुनावी प्रक्रिया से निकलकर लोकतांत्रिक अधिकार का मामला बन जाता है। मतदाता से ऐसे दस्तावेज मांगे जाएं जो उसके पास नहीं हैं, पुराने रिकॉर्ड का मिलान न हो पाए, नाम या पता बदलने से पहचान में अंतर आ जाए या किसी दूसरे व्यक्ति की आपत्ति के कारण उसका नाम सदेह के घेरे में आ जाए तो क्या हर बार नागरिक ही साबित करेगा कि वह वोट देने का अधिकार रखता है? लोकतंत्र में व्यवस्था का काम नागरिक को अधिकार देना और उसकी रक्षा करना है। नागरिक का काम हर चुनाव से पहले व्यवस्था के सामने अपने अधिकार का अस्तित्व साबित करना नहीं हो सकता।

एसआईआर की पूरी प्रक्रिया इसी कसौटी पर खड़ी है। और यहीं से चुनाव आयोग के साथ-साथ केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। इतनी बड़ी प्रक्रिया के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव से केंद्र सरकार खुद को पूरी तरह अलग कैसे रख सकती है? यदि केंद्र का कहना है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, तो उसे यह भी स्पष्ट करना होगा कि नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा के लिए वह क्या कदम उठा रहा है।

विपक्ष के आरोपों को बिना प्रमाण अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। लेकिन लाखों मतदाताओं से जुड़ी शिकायतों को सिर्फ राजनीतिक शोर बताकर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आयोग भी केवल सर्वसम्मति का हवाला देकर सवालों से नहीं बच सकता। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता किसी दल के पक्ष या विपक्ष से तय नहीं होनी चाहिए। सरकारें और राजनीतिक दल बदलते रहेंगे, लेकिन चुनावी संस्थाओं पर जनता का भरोसा बना रहना चाहिए। इसलिए मौजूदा विवाद को केवल राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच टकराव के रूप में देखना गलत है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं होती जब कोई वोट गलत पड़ जाए। सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब सही वोट डालने वाला नागरिक मतदान केंद्र तक पहुंच ही न पाए।



गौतम चौधरी

धार्मिक स्थल केवल ईंट, पत्थर और चूने से बनी इमारतें नहीं होते। मस्जिद की अजान, मंदिर की घंटी, चर्च की प्रार्थना, गुरुद्वारे के शब्द, दरगाह की रूहानी फिजा और खानकाह की महफिल किसी समाज की आस्था, संस्कृति और सामूहिक स्मृति का हिस्सा होती है। कोई धार्मिक स्थल यदि कई पीढ़ियों से किसी बस्ती के जीवन का हिस्सा रहा हो तो उसके साथ लोगों का भावनात्मक जुड़ाव स्वाभाविक है।

यही कारण है कि किसी मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, दरगाह या खानकाह की भूमि को लेकर उठे सवाल को केवल जमीन के कागज का मामला मानना उचित नहीं होगा। इसके साथ इतिहास, स्थानीय परंपरा, लोगों की भावनाएं, संपत्ति के अधिकार और कानून सभी जुड़े होते हैं। मगर इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक पवित्रता कानून से ऊपर नहीं हो सकती और कानून की आड़ में धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। वास्तविक चुनौती इन दोनों के बीच न्यायपूर्ण संतुलन कायम करने की है।

भारत में अनेक धार्मिक स्थल ऐसे समय में स्थापित हुए जब आज जैसी व्यवस्थित भू-अभिलेख व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के उपयोग से जुड़े निर्णय कई बार स्थानीय मुखिया, पंचायत, जमींदार या समुदाय के प्रभावशाली लोगों की सहमति से होते थे। कहीं लिखित प्रमाण मिले तो कहीं स्थानीय गवाही, रसीद, रजिस्टर या पंचायत का रिकॉर्ड ही संस्था के अस्तित्व का आधार बना।

इसलिए पचास, सौ या उससे अधिक वर्षों पुराने किसी धार्मिक स्थल के मामले में केवल वर्तमान भूमि रिकॉर्ड देखकर निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं होना चाहिए। यह भी देखना होगा कि वह स्थल कब स्थापित हुआ, उस समय भूमि की स्थिति क्या थी, संस्था कितने समय से वहां संचालित है और उसके पक्ष में कौन-कौन से पुराने प्रमाण उपलब्ध हैं।

इसका अर्थ यह भी नहीं कि पुराना होना अपने आप में कानूनी स्वामित्व का प्रमाण बन जाए। प्राचीनता सम्मान का आधार हो सकती है लेकिन कानून का विकल्प नहीं। इसी तरह किसी पुराने दस्तावेज के अभाव को भी तत्काल अवैध कब्जे का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। प्रत्येक मामले की जांच उसके अपने तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए।

यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। धार्मिक संस्थाओं को भी यह समझना होगा कि आस्था के साथ कानूनी सावधानी आवश्यक है। नए धार्मिक स्थल की स्थापना से पहले भूमि का स्वामित्व, उपयोग का

अधिकार और आवश्यक अनुमति स्पष्ट होनी चाहिए। पुराने संस्थानों को अपने उपलब्ध दस्तावेज, रजिस्टर, रसीदें और अन्य प्रमाण सुरक्षित रखने चाहिए। जहां आवश्यकता हो वहां अपनी कानूनी स्थिति की विशेषज्ञों से जांच करानी चाहिए।

मस्जिद स्थापित करना मुसलमानों के लिए धार्मिक कार्य है लेकिन ऐसी भूमि पर मस्जिद बनाना जिस पर वैध अधिकार या अनुमति न हो, धार्मिक भावना की आड़ में उचित नहीं ठहराया जा सकता। यही सिद्धांत मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मदरसा, दरगाह और खानकाह सहित प्रत्येक धार्मिक संस्था पर समान रूप से लागू होता है। धार्मिक नेतृत्व की भूमिका यहां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उलेमा, इमाम और धार्मिक संगठन यदि किसी भूमि विवाद के सामने आते ही भावनाओं को उत्तेजित करने के बजाय लोगों को दस्तावेज, कानून और उपलब्ध विकल्पों की जानकारी दें तो विवाद का समाधान अधिक शांतिपूर्ण व सरल ढंग से हो सकता है। लोगों को भावनात्मक बनाना आसान है, जिम्मेदार बनाना धार्मिक नेतृत्व की बड़ी परीक्षा है।

सरकार की जिम्मेदारी भी केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पुराना धार्मिक स्थल भूमि या दस्तावेज संबंधी समस्या में है तो पहले रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए। संस्था को नोटिस दिया जाए, पुराने प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर मिले और संबंधित पक्षों की बात सुनी जाए। साथ ही उस धार्मिक स्थल को कहीं दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए। यदि मामला केवल दस्तावेजों की कमी या पुरानी प्रशासनिक अनियमितता का है तो जहाँ कानून अनुमति देता हो वहाँ नियमितकरण का अवसर दिया जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त समय और सामान्य धार्मिक संस्थाओं की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए वहन करने योग्य शुल्क निर्धारित किया जा सकता है।

यह सुविधा किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मस्जिद के लिए जो नियम हो, वही मंदिर के लिए हो, मंदिर के लिए जो प्रक्रिया हो, वही चर्च, गुरुद्वारे, मदरसे, दरगाह और खानकाह पर भी लागू हो। राज्य की निष्पक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि कानून धार्मिक पहचान देखकर अपना स्वरूप न बदले। हाल में संबंधित कुछ स्थानीय प्रशासन पर धर्म व पहचान को देख कर कार्रवाई का आरोप लगा है, जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के समावेशी संवैधानिक स्वरूप के खिलाफ है।

सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न अलग महत्व रखता है। यदि किसी धार्मिक संस्था के संबंध में वास्तविक सुरक्षा संबंधी आशंका हो तो उसकी जांच आवश्यक है। मगर सुरक्षा का प्रश्न प्रमाण और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। केवल किसी धार्मिक संस्था की पहचान अपने आप में सुरक्षा संबंधी सदेह का आधार नहीं बन सकती। इसी तरह जहां मामला केवल भूमि रिकॉर्ड की कमी का हो वहां उसे अनावश्यक रूप से राष्ट्रीय

सुरक्षा का प्रश्न बनाना भी उचित नहीं होगा। यही संतुलन न्यायपूर्ण प्रशासन की पहचान है।

कभी सड़क, सार्वजनिक परियोजना, सुरक्षा या किसी अन्य अपरिहार्य परिस्थिति में धार्मिक स्थल के स्थानांतरण का प्रश्न भी सामने आ सकता है। ऐसे मामलों को सामान्य नियम की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। प्रत्येक स्थल का अपना इतिहास, धार्मिक महत्व और कानूनी संदर्भ होता है। यदि किसी विशेष मामले में संबंधित धार्मिक विद्वान परिस्थितियों को देखते हुए कोई समाधान स्वीकार करते हैं तो उस निर्णय को उसी मामले की सीमा में समझना चाहिए। उसे देश भर के धार्मिक स्थलों के लिए सामान्य मिसाल बना देना उचित नहीं होगा।

सरकार को ऐसे मामलों में पारदर्शिता रखनी चाहिए और संबंधित समुदाय को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि निर्णय विशेष परिस्थितियों के आधार पर लिया गया है, किसी व्यापक धार्मिक नीति के तहत नहीं।

ऐसे संवेदनशील मामलों में समाधान का व्यावहारिक पक्ष क्या है? इस पर भी विचार करने की जरूरत है। पुराने धार्मिक स्थलों के लिए एक समान और स्पष्ट प्रक्रिया बनाई जा सकती है। पहला, भूमि रिकॉर्ड की जांच हो। दूसरा, संस्था को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले। तीसरा, पुराने दस्तावेजों और स्थानीय प्रमाणों को भी देखा जाए। चौथा, दस्तावेज पूरे करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। पांचवां, जहां कानून अनुमति देता हो वहां सरल और कम लागत वाली नियमितकरण प्रक्रिया हो। छठा, गंभीर कानूनी उल्लंघन और वास्तविक सुरक्षा खतरे वाले मामलों को अलग श्रेणी में रखा जाए। सातवां, यह पूरी व्यवस्था सभी धर्मों के धार्मिक संस्थानों पर समान रूप से लागू हो। इससे कानून कमजोर नहीं होगा। उलट कानून के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होगा।

धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ कानून से मुक्त होना नहीं है। उसी तरह कानून का शासन यह भी नहीं कहता कि धार्मिक भावनाओं को अनदेखा कर दिया जाए। लोकतांत्रिक समाज में दोनों के बीच संतुलन ही स्थायी रास्ता है। धार्मिक संस्थाओं को अपनी भूमि और दस्तावेजों के प्रति जिम्मेदार होना होगा। सरकार को कार्रवाई में न्याय और संवेदनशीलता रखनी होगी। धार्मिक नेतृत्व को समाज में आस्था के साथ कानूनी चेतना भी पैदा करनी होगी।

आखिरकार सवाल यह नहीं है कि कानून जीते या धर्म। सवाल यह है कि धर्म की गरिमा और कानून की मर्यादा दोनों कैसे सुरक्षित रहें। मस्जिद की पवित्रता का सम्मान हो तो उसकी भूमि के अधिकार का भी सम्मान होना चाहिए। मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, दरगाह और खानकाह की आस्था का सम्मान हो तो उनकी कानूनी जिम्मेदारियों को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। राज्य से निष्पक्षता की अपेक्षा हो तो धार्मिक संस्थाओं से भी पारदर्शिता और जिम्मेदारी की अपेक्षा स्वाभाविक है।

पवित्र स्थलों की रक्षा केवल उनकी दीवारों की रक्षा नहीं है। यह आस्था, कानून, न्याय और सामाजिक शांति के बीच संतुलन की रक्षा भी है।

बिखरी हुई व्यवस्था की कीमत अब छिपी नहीं है



— डॉ. गिरधर जे. ज्ञानी

भारत के कई हिस्सों में आज भी एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक मरीज की जानकारी पहुंचाने का मुख्य जरिया खुद मरीज ही है। वह हर बार अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट लेकर जाती है—कागजों की फाइल, मोबाइल में जांच की तस्वीरें या फिर सिर्फ अपनी याददाश्त के भरोसे। इलाज के हर चरण में नई जानकारी तैयार होती है, लेकिन अक्सर वह अगले डॉक्टर या अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती। अस्पतालों के लिए इस कमी को दूर करना लंबे समय तक प्राथमिकता नहीं रहा। जब स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने की बात हुई, तो मुख्य सवाल यही रहा कि इसमें कितना खर्च आएगा और अस्पतालों को अपनी व्यवस्था में कितना बदलाव करना पड़ेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई नई डिजिटल व्यवस्था एक सप्ताहांत में लागू नहीं की जा सकती। अस्पतालों में वर्षों पुराने साफ्टवेयर, अलग-अलग तरह की काम करने की प्रक्रियाएं और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल का अलग-अलग स्तर है। छोटे अस्पतालों के लिए तकनीक पर खर्च किया गया हर रुपया बिस्तरो, उपकरणों और कर्मचारियों पर होने वाले खर्च से जुड़ा होता है। इसलिए हमेशा यह सवाल रहा कि क्या नई व्यवस्था वास्तव में ऐसी समस्या का समाधान करेगी, जिसका समाधान जरूरी है।

अब सवाल बदल गया है। ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मरीजों की जानकारी अलग-अलग जगह बंटी रहने की वजह से अस्पतालों और मरीजों को पहले से कितना नुकसान हो रहा है। मरीज के इलाज का पूरा सफर इस समस्या को साफ दिखाता है। वह पहले किसी स्थानीय डॉक्टर को दिखा सकती है, फिर किसी जांच केंद्र पर जांच करा सकती है, उसके बाद विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह ले सकती है और अंत में अस्पताल में भर्ती हो सकती है। इलाज के हर चरण में मरीज से जुड़ी नई जानकारी तैयार होती है, लेकिन यह जानकारी अक्सर डॉक्टर, क्लिनिक और जांच केंद्र के बीच आगे नहीं पहुंचती।

इसके बाद क्या होता है, यह हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री उपलब्ध नहीं होती, वही जांच दोबारा करानी पड़ती है, इलाज में अनावश्यक देरी होती है और ऐसी जानकारी जुटाने में घंटों लग जाते हैं जो पहले से कहीं और मौजूद होती है। लंबे समय तक डेटा को अस्पताल या संस्था की अपनी संपत्ति की तरह देखा गया, जिसे अपने पास रखा जाए। जबकि असल में यह ऐसी जानकारी है, जिसे मरीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग प्रारूप और एक-दूसरे से मेल न खाने वाली डिजिटल व्यवस्थाओं ने इस समस्या को और बढ़ाया है। अब जानकारी को अलग-अलग जगह बंद रखने की कीमत इतनी बढ़ गई है कि इसका नुकसान मरीजों और अस्पतालों,

जानकारी के एक जगह से दूसरी जगह सही तरीके से न पहुंचने के कारण अस्पतालों को लंबे समय से डॉक्टरों के समय की बर्बादी और अटके हुए बीमा दावों के रूप में नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब जरूरत ऐसी डिजिटल व्यवस्थाएं बनाने की है, जो एक-दूसरे के साथ आसानी से जानकारी साझा कर सकें।

दोनों को हो रहा है। इसी वजह से निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी एबीडीएम को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि अलग-अलग डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक समान मानकों की जरूरत है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि मरीज जहां भी इलाज कराए, उसकी जरूरी स्वास्थ्य जानकारी अगले डॉक्टर या अस्पताल के काम आ सके।

दुनिया के अलग-अलग देशों के अनुभव बताते हैं कि जब मरीज की स्वास्थ्य जानकारी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं पहुंचती, तो मरीज को खराब अनुभव हो सकता है, एक ही जांच बार-बार हो सकती है और इलाज में देरी हो सकती है। इसके विपरीत, अलग-अलग स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच बेहतर तालमेल से जांचों की दोहराव वाली जरूरत और अस्पताल में दोबारा भर्ती होने के मामलों में कमी देखी गई है।

प्रशासन के स्तर पर भी यही समस्या दिखाई देती है। एक अस्पताल कई बीमा कंपनियों और भुगतान करने वाली संस्थाओं के साथ काम करता है। इनमें से हर संस्था की अपनी डिजिटल व्यवस्था और अपने

तरीके होते हैं। जब ये व्यवस्थाएं एक-दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पातीं, तो बीमा दावों की प्रक्रिया बेवजह धीमी और महंगी हो जाती है। इसका सीधा असर अस्पताल की वित्तीय टीम और उसके पैसे के प्रवाह पर पड़ता है।

नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (एनएचसीएक्स) इसी समस्या को दूर करने की कोशिश करता है। यह बीमा दावों की प्रक्रिया को एक समान बनाने पर काम करता है। चाहे डॉक्टर के लिए जरूरी जांच रिपोर्ट हो या अस्पताल और बीमा कंपनी के बीच भेजा जाने वाला दावा, अगर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं पहुंच सकती, तो यह पूरी व्यवस्था की कमी है।

एनएचसीएक्स और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों पर काम करते हैं, लेकिन दोनों के पीछे मूल सोच एक ही है—जानकारी सुरक्षित तरीके से, एक समान व्यवस्था के तहत और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके।

लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था सिर्फ ऊपर से लागू नहीं की जा सकती। इसे डॉक्टरों, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाएं देने वालों के साथ मिलकर तैयार करना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी दी है कि अगर डिजिटल व्यवस्था अलग-अलग और केवल ऊपर से तय करके लागू की जाती है, तो इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में बिखराव और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है। इसलिए

अलग-अलग प्रणालियों को आपस में जोड़ना ही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।

भारत में यह बात खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां निजी स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत विविध है। महानगर का एक बड़ा कॉर्पोरेट अस्पताल और दूसरे या तीसरे स्तर के शहर का छोटा अस्पताल एक जैसी तकनीक, संसाधन या डिजिटल व्यवस्था लागू करने की क्षमता नहीं रखते।

छोटे अस्पताल में अलग से तकनीकी टीम भी नहीं हो सकती। अगर डिजिटल व्यवस्था सही तरीके से नहीं बनाई गई, तो उसे लागू करने का अतिरिक्त बोझ भी अस्पताल पर पड़ सकता है। इसलिए डिजिटल व्यवस्था को अपनाने की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अस्पतालों को कितना व्यावहारिक सहयोग मिलता है और नई व्यवस्था मरीजों के इलाज के मौजूदा तरीके के साथ कितनी आसानी से जुड़ पाती है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के दृढ़ और एनएचसीएक्स के समर्थक के रूप में, एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (एएचपीआई) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा देने वालों को इन डिजिटल व्यवस्थाओं का व्यावहारिक लाभ समझाना, अलग-अलग तरह के अस्पतालों में इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना और अस्पतालों के अनुभवों को उन लोगों तक पहुंचाना है, जो इन डिजिटल

व्यवस्थाओं को तैयार कर रहे हैं।

निजी स्वास्थ्य क्षेत्र सिर्फ भारत की डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था का इस्तेमाल करने वाला नहीं रह सकता। अस्पताल इस व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण उपयोगकर्ताओं में हैं, इसलिए उन्हें इसे बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा देने वालों को जानकारी के अलग-अलग जगह बंटे होने और आपसी तालमेल की कमी का जो अनुभव होता है, उसे देश में डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को आगे बढ़ाने की योजना में शामिल करना होगा। आगे का काम चार हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, अस्पतालों को ऐसी डेटा व्यवस्थाओं को खत्म करना होगा, जिनका अलग-अलग बंद पड़े रहना किसी के काम नहीं आता। दूसरा, स्वास्थ्य तकनीक से जुड़ी कंपनियों को ऐसे उत्पाद और सॉफ्टवेयर बनाने होंगे, जो एक-दूसरे के साथ आसानी से काम कर सकें। तीसरा, चिकित्सा संस्थाओं और संगठनों को छोटे अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को डिजिटल व्यवस्था अपनाने के शुरुआती चरण में मदद करनी होगी। चौथा, नीति बनाने वालों को ऐसे समान और व्यावहारिक मानक तय करने होंगे, जिन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोग अपना सकें।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की सफलता तब मानी जाएगी, जब अस्पतालों, डॉक्टरों और मरीजों को स्वास्थ्य व्यवस्था में बिखराव कम होता हुआ महसूस होगा। जब ऐसा होगा और ऐसा होना संभव है तब डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को मरीजों के इलाज का अधिक बेहतर और प्रभावी तरीका माना जाएगा।

आधुनिक तकनीक से सड़क संरचना को सुदृढ़ कर रही प्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्कू के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की सड़क संरचना को सुदृढ़ करने के लिए व्यवस्थित एवं समग्र दृष्टिकोण से निरंतर प्रयासरत है। सरकार द्वारा सड़कों में सुरक्षा, आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण रखरखाव तथा सड़क परिसंपत्तियों के संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक ऐसा सुदृढ़, सुरक्षित और विश्वसनीय सड़क नेटवर्क तैयार करना है, जो राज्य के दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र और चुनौतीपूर्ण मौसम की परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके।

हिमाचल प्रदेश में सड़कों केवल आवागमन का साधन नहीं हैं, बल्कि ये गांवों और समुदायों को बाजारों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही, सड़कों का कृषि, बागवानी, उद्योग और वानिकी क्षेत्रों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग शून्य से शुरुआत करते हुए राज्य ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 31 अगस्त, 2026 तक राज्य में 41,903 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें हैं, जो 15,608 गांवों को सड़क सुविधा प्रदान कर रही हैं। पहाड़ी भू-भाग में फैले इतने व्यापक सड़क नेटवर्क की मजबूती, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है।

प्रदेश सरकार ने सड़कों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए फरवरी 2026 में सड़क जल निकासी नीति स्वीकृत की है। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी को सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का एक प्रमुख कारण मानते हुए इस नीति में सड़क योजना एवं डिजाइन का अभिन्न हिस्सा जल निकासी व्यवस्था को बनाया गया है। वर्षा की तीव्रता और जलग्रहण क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर जल निकासी संरचनाओं की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही भूस्खलन और पानी के रिसाव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निवारक उपायों का प्रावधान किया गया है। सड़क नालियों में अवरोध उत्पन्न करने या उनके दुरुपयोग के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई को भी मजबूत किया जा रहा है, जिससे बेहतर योजना, रखरखाव और सड़क परिसंपत्तियों के संरक्षण के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

नियोजित बुनियादी ढांचे के साथ सरकार का बल अंतिम छोर तक सड़क संपर्क उपलब्ध करवाने पर भी है। जीप योग्य एवं एंबुलेंस लिंक सड़कों के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं ताकि इनके डिजाइन, निर्माण, प्रमाणन और रखरखाव में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। इन दिशा-निर्देशों में सड़क की चौड़ाई, पेवमेंट, जल निकासी, रिटेंनिंग एवं ब्रेस्ट वॉल, ढलान संरक्षण तथा सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छोटी संपर्क सड़कें भी निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, बाजारों और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच के लिए यह महत्वपूर्ण है।

मौजूदा बुनियादी ढांचे का संरक्षण भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हिमाचल प्रदेश सड़क बुनियादी ढांचा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026, के तहत सड़क संरचना की डिजिटल और भू-समन्वित मैपिंग, त्वरित प्रवर्तन तथा क्षतिग्रस्त सड़क परिसंपत्तियों की शीघ्र बहाली का प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों से सड़क बुनियादी ढांचे के संरक्षण और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की समयबद्ध बहाली के लिए व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

दैनिक सड़क प्रबंधन में भी आधुनिक तकनीक को शामिल किया जा रहा है। इसके लिए एक केंद्रीकृत रोड स्टेटस इन्फॉर्मेशन सिस्टम विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसके माध्यम से विशेषकर मानसून और आपदा की स्थिति में सड़कों के बंद होने, बहाली और संपर्क की स्थिति से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जा सकेगी। वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिससे माप पुस्तिका, बिलिंग तथा निर्माण कार्यों और लेखा संबंधी अन्य प्रक्रियाओं को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। इससे कार्यों के अधिक प्रभावी प्रबंधन तथा सूचनाओं की बेहतर उपलब्धता में सहायता मिलेगी।

सड़क सुरक्षा भी वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। जुलाई 2026 में स्वीकृत सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति के तहत सड़क परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में सुरक्षा ऑडिट का प्रावधान किया गया है, ताकि डिजाइन, निर्माण तथा मौजूदा सड़कों में सुरक्षा संबंधी

कमियों की समय रहते पहचान कर उनका समाधान किया जा सके। इसके साथ ही, संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में एक समर्पित सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है।

सड़कों के रखरखाव की व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। पैच वर्क के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से गवर्न और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के लिए सामग्री, कार्य-विधि और समय-सीमा का एक समान ढांचा निर्धारित किया गया है। इससे कार्यों में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

प्रदेश सरकार साझा गलियारों में पानी, बिजली और दूरसंचार सेवाओं के लिए भूमिगत बहु-उपयोगिता डक्ट विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है। इससे बार-बार सड़क काटने और खुदाई करने की आवश्यकता कम होगी तथा सड़क बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकेगा।

इन पहलों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सड़क प्रबंधन की एक अधिक रोकथाम-आधारित, समन्वित और आधुनिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। बेहतर सड़क संपर्क, प्रभावी जल निकासी, सड़क सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और आधुनिक रखरखाव की तकनीकों को एकीकृत करते हुए राज्य सरकार का लक्ष्य एक ऐसा सड़क नेटवर्क तैयार करना है, जो अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय, स्थायी और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक मजबूत हो।

हिमाचल की जरूरतों पर शोध करें विश्वविद्यालय:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा



विश्वविद्यालयों से हिमाचल की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप शोध परियोजनाओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण, मौसम बदलाव, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, अक्षय ऊर्जा, बागवानी, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में शोध प्रदेश के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

मुख्यमंत्री सोलन में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग और निजी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सम्मेलन

मंडी में 13 6.25 करोड़ की 21 परियोजनाओं का लोकार्पण - शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बल्ह के कंसा मैदान में 136.25 करोड़ रुपये की 21 विकासआत्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इनमें सड़क,



पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी भवनों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 10.73 करोड़ रुपये की चंडियाल - पिपली - कुठवाड़ी - कांडी - तारापुर - खारसी - मनसा माता मंदिर डोला - टिक्कर सड़क, 8.28 करोड़

व्यवस्था के महत्वपूर्ण भागीदार हैं और उन्हें उद्योगों की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

उन्होंने विश्वविद्यालयों से नए रोजगार क्षेत्रों को देखते हुए पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से अपडेट करने तथा संकाय विकास, अनुसंधान, स्टार्टअप, छात्र आदान - प्रदान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने का आग्रह किया।

की सकरोहा - नैना माता मंदिर - पिपली - नदौल - कासला - मलवाणा सड़क, 5.11 करोड़ की लखवाण - डहणू - भनशोट - रटोल - अंद्रेटा - मैरामसीत सड़क और 3.08 करोड़ की

टांडा - कोहला - टिक्करी - कावलकोट - सिद्धकोठी सड़क का लोकार्पण किया। इसके अलावा 3.51 करोड़ की डोयडा पुल - छजवाण - खाबू - दरबयास सड़क, 2.08 करोड़ के नेरचौक लोक निर्माण विभाग मंडल कार्यालय भवन,

मुख्यमंत्री ने बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि तकनीक, पर्यटन एवं आतिथ्य, अक्षय ऊर्जा, वानिकी और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप मजबूत करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों से हिमाचल गुणात्मक शिक्षा में पांचवें स्थान पर पहुंचा है, जबकि 2021 में राज्य 21वें स्थान पर था। प्रदेश के 156 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया जा चुका है और अगले वर्ष 100 और स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने छात्रों से जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती, दुग्ध उत्पादन और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर तलाशने का आग्रह किया। इससे पहले उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों की शोध एवं पेटेंट आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

25.89 करोड़ के नेरचौक - रत्ती - कलखर सड़क उन्नयन, 32 लाख के बेहना आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और 23 लाख के कोठी पशु औषधालय भवन का भी उद्घाटन किया।

पेयजल क्षेत्र में 43.91 करोड़ की बल्ह तहसील उठाऊ जलापूर्ति योजना और 17.01 करोड़ की बहली - महादेव व नेरी - कांगर - पन्यास उठाऊ जलापूर्ति योजना का लोकार्पण हुआ। इसके साथ 4.42 करोड़ के राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाल भवन, 38 - 38 लाख के डहणू व मलथेहड़ पंचायत घर, 25 लाख के मांडव ग्रामीण हाट तथा 12 - 12 लाख के रजबाड़ी व करसोग पटवारखानों का उद्घाटन किया गया।

शिलान्यास में 50 लाख का हलयातर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, 1.41 करोड़ के कांगणी कर्मचारी आवास, 1.15 करोड़ का रत्ती पंचायत सामुदायिक केंद्र और 7.38 करोड़ की सेकड़ खाड़ - बैहना नाला एफपीक्यू परियोजना शामिल है।

एम्स बिलासपुर तक सीधी बस सेवा, रोजाना एक हजार मरीजों को राहत

शिमला/शैल। शिमला। मरीजों और उनके तीमारदारों की सुविधा के लिए एचआरटीसी ने प्रदेश के कई क्षेत्रों से एम्स बिलासपुर तक सीधी बस सेवा शुरू की है। 10 इलेक्ट्रिक बस

घुमारवीं और बिलासपुर से भी सीधी बस सुविधा उपलब्ध है। घुमारवीं से रोजाना चार और बिलासपुर से आठ बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

उप - मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

ने कहा कि नालागढ़ - रामशहर और बदी - बघेरी मार्ग से एम्स के लिए दो नई इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। नाचन क्षेत्र को भी जल्द एम्स से जोड़ा जाएगा। जरूरत के अनुसार अन्य क्षेत्रों को भी इस नेटवर्क में शामिल किया जाएगा।

सीधी बस सेवा से मरीजों और तीमारदारों का समय बच रहा है तथा



सेवाओं से रोजाना एक हजार से अधिक मरीज और उनके परिचारक सफर कर रहे हैं। सीधी बस मिलने से मरीजों को रास्ते में बस बदलने की परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है।

वर्तमान में चित्तपूर्ण, ऊना, हरौली, सोलन, मंडी और जाहू से एम्स के लिए सीधी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इसके अलावा करलोटी, बंदला, शाहतलाई,

टैक्सी और निजी वाहनों का खर्च भी कम हो रहा है। लो - फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें बुजुर्गों, दिव्यांगों और मरीजों के लिए सुविधाजनक हैं।

अग्निहोत्री ने कहा कि नियमित उपचार, जांच और फॉलोअप के लिए एम्स आने वाले लोगों को समय पर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है।

पुष्प उत्पादन से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

शिमला/शैल। हिमाचल की अनुकूल जलवायु का लाभ उठाकर किसान पुष्प उत्पादन से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कुलपति प्रो. एचएस बवेजा ने किसानों से व्यावसायिक फूलों की खेती अपनाने का आह्वान किया।

विश्वविद्यालय के पुष्प विज्ञान एवं लैंडस्केप आर्किटेक्चर विभाग ने आरके वीवाई - अनुसूचित जाति उप - योजना के तहत 'कट एवं पॉटेड फूल' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सोलन और सिरमौर की विभिन्न पंचायतों के 51 किसानों ने भाग लिया।

प्रो. बवेजा ने कहा कि पुष्प उत्पादन स्वरोजगार, आय और ग्रामीण रोजगार का अच्छा माध्यम बन सकता

है। किसानों को वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर व्यावसायिक इकाइयां स्थापित करनी चाहिए। विश्वविद्यालय इसके लिए तकनीकी मार्गदर्शन और जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाएगा।

औद्यानिकी महाविद्यालय के डीन डॉ. मनीष शर्मा ने किसानों को क्षेत्र के अनुकूल उच्च मूल्य वाली पुष्पीय फसलों की खेती अपनाने की सलाह दी। प्रशिक्षण में किसानों को गुलदाउदी, गुलाब, लिलियम, ग्लेडियोस, ऑर्किड, हाइड्रेंजिया और गेंदा सहित विभिन्न फूलों की उत्पादन तकनीक और बाजार संभावनाओं की जानकारी दी गई।

किसानों को पॉटेड पौधों, ग्राइंग मीडिया और लैंडस्केपिंग के उपयोग की जानकारी भी दी गई। वैज्ञानिकों ने रोपण सामग्री, उत्पादन तकनीक और विपणन से जुड़े सवालों का समाधान किया।

बल्ह जनसभा में मुख्यमंत्री ने भाजपा को घेरा, गिनाई कमिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मंडी के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कंसा चौक में आयोजित जनसभा में पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय जीएसटी कंपनसेशन और राजस्व घाटा अनुदान के रूप में करीब 60 हजार करोड़ रुपये मिले, लेकिन इनका उचित उपयोग नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के साथ प्राकृतिक आपदा के दौरान अपने संसाधनों से करीब 23 हजार क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने दावा किया कि किशाऊ परियोजना में प्रदेश के हितों की पैरवी से करीब 3 हजार करोड़ रुपये का संभावित खर्च बचाया गया है। परियोजना से भविष्य में हिमाचल को सालाना 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये आय होने का दावा भी उन्होंने किया।

मुख्यमंत्री ने 'अपना परिवार सुखी परिवार योजना' में पात्रता की शर्तों में बदलाव की घोषणा की। अब लाभ लेने के लिए मनरेगा में एक दिन

अपना परिवार सुखी परिवार' की पात्रता बदली, मनरेगा की अनिवार्य शर्त हटेगी

काम करने की अनिवार्यता हटाई जाएगी और परिवार की आय सीमा



50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की जाएगी। 21 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन देने की बात भी कही।

उन्होंने जल्द ही पुलिस कांस्टेबलों के 800 पद भरने और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 23 करोड़ रुपये की लागत से एमआरआई मशीन लगाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में

स्टाफ की उपलब्धता करीब 35 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हुई

है और इसे 80 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है।

बल्ह के लिए उन्होंने नेरचौक में जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड के डिवीजन तथा डीएसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की। सिंचाई - पेयजल योजनाओं के लिए 3 करोड़, डंपिंग साइट के लिए 1 करोड़ और कंसा स्टेडियम की मरम्मत के लिए 50 लाख रुपये देने की भी घोषणा की।

नाबार्ड की कृषि परियोजनाओं की समीक्षा

शिमला/शैल। नाबार्ड के तहत चल रही कृषि क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक

नेबकिसान और एपीडा के प्रतिनिधियों ने ऋण सुविधा, निर्यात, मूल्य संवर्धन और बाजार संपर्क की



समीक्षा बैठक 23 सितंबर को हुई। अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक डॉ. विवेक पठानिया ने की। बैठक में वाटरशेड, सिंग्रिशेड, जनजातीय विकास, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और कृषि क्षेत्र संवर्धन से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

एफपीओ से जुड़े आंकड़ों और प्रगति को समय पर ऑनलाइन अपडेट करने के निर्देश दिए गए। वाटरशेड कार्य स्वीकृत योजना के अनुसार करने और जनजातीय विकास कार्यक्रमों के प्रशिक्षण व लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध करवाने को कहा गया।

जानकारी दी।

बैठक में PODE की 17, 10 हजार एफपीओ योजना की 23, FSPF की तीन, जनजातीय विकास कार्यक्रम की 10 तथा वाटरशेड, सिंग्रिशेड और जीवा कार्यक्रम की सात परियोजनाओं की समीक्षा हुई।

अधिकारियों ने परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में कहा गया कि इन योजनाओं से कृषि विकास, आजीविका, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल रही है।

एचआरटीसी में 366 पुरानी बसें होंगी ऑफरोड: उप-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में बदलाव की तैयारी तेज हो गई है।

की बैठक 15 दिन के भीतर करने को कहा गया है, ताकि खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ सके।



निगम 250 नई डीजल बसें खरीदेगा, जबकि 366 पुरानी बसें को चरणबद्ध तरीके से ऑफरोड किया जाएगा। इनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की योजना है।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई एचआरटीसी निदेशक मंडल की 164वीं बैठक में नई बसें की खरीद प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। वाहन खरीद समिति

बैठक में नई इलेक्ट्रिक बसें के प्रोटोटाइप को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए गए। सरकार ने बसें की बैटरी क्षमता 350 किलोमीटर से अधिक रखने पर जोर दिया है, ताकि उन्हें लंबी दूरी के रूटों पर भी चलाया जा सके।

एचआरटीसी के बस रूटों को लेकर भी अहम फैसला हुआ। अब प्रबंध निदेशक की मंजूरी के बिना

कोई रूट बंद नहीं किया जा सकेगा। क्षेत्रीय प्रबंधकों को अपने स्तर पर रूट बंद करने का अधिकार नहीं होगा।

कांगड़ा में नए इलेक्ट्रिक बस डिपो को मंजूरी दी गई है। इससे पहले नांदेन, हरोली, ठियोग और नाहन में ई-डिपो स्वीकृत किए जा चुके हैं। हरोली ई-डिपो का संचालन शुरू हो चुका है।

बैठक में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत चल रही बसें को भी एचआरटीसी के अधीन लाने का निर्णय लिया गया। निगम इन बसें का संचालन हिमाचल से बाहर भी कर सकेगा।

ऊना के पुराने बस स्टैंड की जमीन पर सिटी सेंटर विकसित करने का फैसला हुआ है। वहीं, बिलासपुर के मंडी भराड़ी में निर्माणाधीन नए बस स्टैंड को 15 फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में साफ हुआ कि एचआरटीसी अब पुराने बेड़े को हटाकर नई डीजल और इलेक्ट्रिक बसें की ओर बढ़ रहा है। साथ ही रूट संचालन और बस अड्डों के ढांचे में भी बदलाव की तैयारी है।

पूर्व सैनिकों और रक्षा कर्मियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, रक्षा कर्मियों के आश्रितों और वीरता पुरस्कार प्राप्त लोगों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से इन परिवारों को आर्थिक सहायता और जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 17.09 करोड़ रुपये की सहायता और अनुदान दिए गए। इससे 2,263 लोग लाभान्वित हुए। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 968 लाभार्थियों को 6.13 करोड़ रुपये दिए गए। वहीं, 1,084 वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 3 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

ड्यूटी के दौरान शहीद या दिव्यांग हुए रक्षा कर्मियों के 57 आश्रितों को 7.62 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। इसके अलावा 154 वार-जागीर लाभार्थियों को 20.83

लाख रुपये तथा पुणे और मोहाली स्थित पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्रों को 6 लाख रुपये की सहायता दी गई।

सरकार के अनुसार, सेवा के दौरान किसी जवान की मृत्यु होने पर उसके निकटतम परिजन को तत्काल सहायता के रूप में 75 हजार रुपये दिए जाते हैं। सैनिक कल्याण भवनों के रखरखाव के लिए भी 6.74 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को सेना में भर्ती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। वर्ष 2025-26 में कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और शिमला में सेना भर्ती रैलियों के लिए 2.28 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रशिक्षण अकादमी, बरछवाड़, मंडी को युवाओं की भर्ती की तैयारी के लिए 10.26 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की सेना में सेवा की गौरवशाली परंपरा रही है। सरकार सैनिक कल्याण, भर्ती और प्रशिक्षण से जुड़ी सुविधाओं को आगे भी मजबूत करेगी।

भरमौर में विकास कार्यों की समीक्षा, सुरंगों और सड़कों पर जोर

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने भरमौर में विकास कार्यों की समीक्षा की और

मणिमहेश यात्रियों के लिए हड़सर से यमकुंड तक बनेगा नया पैदल मार्ग

जगत सिंह नेगी ने राष्ट्रीय राजमार्ग-154 ए और प्रमुख संपर्क



अधिकारियों को इन्हें तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना की परियोजना सलाहकार समिति की बैठक लघु सचिवालय पट्टी के सभागार में हुई। बैठक में स्थानीय विधायक डॉ. जनक भी मौजूद रहे।

मार्गों पर संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर सुरंग निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए।

मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हड़सर

से यमकुंड तक नया पैदल मार्ग बनाया जाएगा। यह मार्ग तोश के गोठ के समीप तक होगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग प्राक्कलन तैयार करेगा।

बैठक में बताया गया कि पीएमजीएसवाई चरण-4 के तहत भरमौर के 76 गांवों के सर्वेक्षण के आधार पर 130 करोड़ रुपये की लागत से 17 सड़कों का निर्माण चल रहा है। 15 अन्य सड़कों की डीपीआर तैयार है, जबकि 44 सड़कों के लिए गिफ्ट डीड और वन मंजूरी की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा 183 करोड़ रुपये की लागत से 15 पुलों की डीपीआर तैयार की गई है।

मंत्री ने कृषि, बागवानी और पशुपालन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए संयुक्त जागरूकता शिविर लगाने को कहा। उन्होंने भरमौर अस्पताल में जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

पशु बांझपन के निदान और उपचार में दक्ष होंगे अधिकारी

शिमला/शैल। प्रदेश में पशुओं की बांझपन और प्रजनन संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार को बेहतर बनाने के लिए 10 पशु चिकित्सा

प्रशिक्षण का मुख्य जोर मैदानी स्तर पर समस्या की जल्द पहचान और सही उपचार पर रहा। अधिकारियों को पशुओं में बांझपन के कारणों की



अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में तीन दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को गायों में प्रजनन संबंधी समस्याओं की पहचान, जांच और उपचार की आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

जांच, प्रजनन स्वास्थ्य प्रबंधन और उपचार संबंधी तकनीकों का अभ्यास करवाया गया। इसका उद्देश्य पशुपालकों को उनके क्षेत्र में ही बेहतर और समयबद्ध पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना है।

प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में प्रत्येक अधिकारी

को हाल में पेटेंट किया गया “Bovine Endometrial Cytotaping Catheter” उपलब्ध करवाया गया। अधिकारी इस उपकरण और प्रशिक्षण में सीखी तकनीकों का इस्तेमाल अपने कार्यक्षेत्र में गायों की प्रजनन संबंधी समस्याओं के निदान और प्रबंधन में कर सकेंगे।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. (मेजर) अविनंदर कुमार ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण से प्रदेश की पशु स्वास्थ्य और प्रजनन सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अधिष्ठाता प्रो. पंकज सूद ने कहा कि पशुओं की प्रजनन समस्याओं का समय पर समाधान पशुपालकों की उत्पादकता और आय से सीधे जुड़ा है।

विश्वविद्यालय विशेषज्ञों ने अधिकारियों को तकनीकी जानकारी के साथ क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली व्यावहारिक विधियों का प्रशिक्षण दिया। इससे प्रशिक्षित अधिकारी अपने क्षेत्रों में पशुपालकों को प्रजनन संबंधी समस्याओं पर अधिक प्रभावी सेवाएं दे सकेंगे।

एचपीएमआईएस से सेब खरीद में पारदर्शिता: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल में मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत अब तक 8,000 मीट्रिक टन से अधिक सेब खरीदा जा चुका है। 17 हजार से अधिक बागवान एचपीएमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण करवा चुके हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने कहा कि पोर्टल से सेब खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।

1 अगस्त से 213 संग्रहण केंद्रों पर एचपीएमआईएस और हिमफेड के माध्यम से सेब खरीदा जा रहा है। खरीद प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस बार पंजीकरण से लेकर खरीद, डिजिटल रसीद, परिवहन और भुगतान तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानों को एक बार पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद अगले वर्षों में दोबारा

पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। एमआईएस के तहत खरीदे गए सेब की डिजिटल रसीद जारी होगी और पात्र भुगतान सीधे बागवान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा।

एचपीएमआईएस के पराला, परवाणू और जड़ल संयंत्रों में सेब की खरीद, परिवहन और प्रसंस्करण की रियल टाइम निगरानी भी की जा रही है। इससे रिकॉर्ड रखने और सेब के निस्तारण की प्रक्रिया आसान हुई है।

मुख्यमंत्री ने बागवानों से एचपीएमआईएस पर पंजीकरण करवाने तथा मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी सही रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एमआईएस बाजार में मंडी के दौरान बागवानों को राहत देने और सेब के लिए सुनिश्चित खरीद व्यवस्था उपलब्ध कराने में मदद करती है।

सीमा की जीत पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने एशियाई खेल-2026 में महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली हिमाचल की एथलीट सीमा कुमारी को बधाई दी है। जापान के आइची-नागोया में आयोजित इन खेलों में चंबा की सीमा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा की सफलता पूरे हिमाचल के लिए

गर्व का विषय है। उनकी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि सीमा की उपलब्धि प्रदेश के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और आवश्यक सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए हरसंभव प्रोत्साहन दिया जाएगा।

क्लास-III पेंशनरों का एरियर अक्टूबर में होगा शून्य

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार अक्टूबर में क्लास-III पेंशनरों को बकाया पेंशन एरियर का 30 प्रतिशत भुगतान करेगी। इसके साथ 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए इन पेंशनरों की एरियर देनदारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

इसी अवधि में सेवानिवृत्त क्लास-1 और क्लास-III पेंशनरों को भी अक्टूबर में एरियर की अतिरिक्त 15 प्रतिशत राशि दी जाएगी। सरकार के अनुसार पहले दी जा चुकी अंतरिम राहत और महंगाई राहत की किस्तों को बकाया पेंशन में समायोजित किया जाएगा।

सितंबर 2026 की पेंशन और पारिवारिक पेंशन, जिसका भुगतान अक्टूबर में होना है, के साथ पात्र पेंशनरों को स्वीकार्य बकाया राशि भी जारी की जाएगी। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने संबंधित अधिकारियों को पात्र पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार समय-समय पर कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय लाभ जारी करती रही है।

जनजातीय परिवारों के वन अधिकार पर सरकार की परीक्षा

शिमला/शैल। जंगल और जमीन पर पीढ़ियों से निर्भर जनजातीय परिवारों के अधिकार अब सरकारी फाइलों में नहीं अटकने चाहिए। वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र लोगों के दावों का समय पर निपटारा नहीं हुआ तो कानून का उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा। चंबा में राजस्व, उद्यान और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसी मुद्दे पर अधिकारियों को दावों के निपटारे में तेजी लाने और लोगों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

बचत भवन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लेकर हुई बैठक में नेगी ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों और अन्य पात्र पारंपरिक वन निवासियों को कानून के तहत उनके अधिकार दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दावों की जांच और निपटारा तय प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध किया जाये और अनावश्यक देरी न हो।

बैठक में चंबा जिले में भूमि के मालिकाना हक से जुड़े दावों की समीक्षा की गई। नेगी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधे जानकारी ली। उन्होंने जिला प्रशासन को सभी संबंधित लोगों को जरूरी प्रशिक्षण देने तथा उपमंडल और जिला स्तर की समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए।

विधायक नीरज नैय्यर ने कहा कि कानून की प्रक्रिया लोगों के लिए आसान बनाई जानी चाहिए। उन्होंने अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करने और विभागीय कारवाई को पायलट आधार पर व्यवस्थित करने की जरूरत बताई। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जिले में चल रहे काम की जानकारी दी।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 का मकसद जंगलों पर निर्भर अनुसूचित जनजातियों और अन्य पात्र पारंपरिक वन निवासियों के उन अधिकारों को कानूनी मान्यता देना है, जो लंबे समय से दर्ज नहीं हो पाए थे। केंद्र के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना, जमीन पर अधिकार, आजीविका और स्वायत्त सुरक्षा

सुनिश्चित करना तथा वन संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका मजबूत करना है।

इस कानून के तहत केवल जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार ही नहीं आते। पात्र लोगों को आवास और खुद खेती करने के लिए वन भूमि पर अधिकार मिल सकता है। समुदाय को चराई, मछली पकड़ने, पानी के स्रोतों और लघु वनोपज के उपयोग जैसे अधिकार भी मिल सकते हैं। परंपरागत रूप से संरक्षित सामुदायिक वन संसाधनों को बचाने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार भी कानून में शामिल है।

वन अधिकारों के दावों का फैसला केवल किसी एक विभाग के स्तर पर नहीं होता। कानून में ग्राम सभा को प्रक्रिया शुरू करने वाली प्रमुख संस्था बनाया गया है। ग्राम स्तर की वन अधिकार समिति दावों की जांच और सत्यापन में भूमिका निभाती है। इसके बाद ग्राम सभा दावे पर विचार कर अपनी सिफारिश देती है। मामला फिर उपमंडल स्तरीय समिति के पास जाता है और उसके बाद

जिला स्तरीय समिति अंतिम निर्णय करती है।

यानी किसी व्यक्ति का दावा सीधे जमीन का मालिकाना हक नहीं बन जाता। पहले यह देखा जाता है कि वह कानून में तय पात्रता पूरी करता है या नहीं और उसके दावे के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य क्या हैं। नियमों के अनुसार दावा स्वीकार या बदला जाता है तो संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी देकर अपील का अवसर भी दिया जाता है।

वन अधिकार कानून बनने के करीब दो दशक बाद भी इसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पात्र परिवारों तक इसका लाभ कितनी तेजी से पहुंचे। कानून में व्यक्तिगत अधिकारों के साथ सामुदायिक अधिकारों की भी व्यवस्था है। इसलिए केवल जमीन के व्यक्तिगत दावों तक प्रक्रिया सीमित रखने के बजाय सामुदायिक वन अधिकारों पर भी ध्यान देना जरूरी है।

चंबा जैसे जनजातीय जिले में यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां जंगल केवल जमीन का हिस्सा नहीं, बल्कि लोगों की

खेती, पशुपालन, ईंधन, चारा और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा है। ऐसे में दावों की जांच में देरी का असर सीधे परिवारों की आजीविका पर पड़ सकता है।

वन अधिकार देने के साथ संरक्षण की जिम्मेदारी भी जुड़ी है। कानून ग्राम सभा और अधिकार धारकों को जंगल, जैव विविधता और जल स्रोतों के संरक्षण तथा सामुदायिक वन संसाधनों के टिकाऊ

उपयोग में भूमिका देता है।

अब चंबा में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी कसौटी यही है कि बैठक और निर्देश कागज तक सीमित न रहें। जिन लोगों के दावे कानून के अनुसार सही हैं, उन्हें समय पर अधिकार मिलें, गलत दावों की वजह स्पष्ट हो और ग्राम सभा से जिला स्तर तक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से चले। यही वन अधिकार अधिनियम की असली परीक्षा है।

कुत्तों के बढ़ते हमलों के बीच.....पृष्ठ 1 का शेष

हैं। लोगों के घरों के बाहर, स्कूलों के रास्तों, बाजारों और सार्वजनिक रास्तों पर कुत्तों के झुंड दिखाई देते हैं। बच्चों और बुजुर्गों का अकेले चलना मुश्किल हो रहा है। शिमला में सितंबर में दो साल की बच्ची पर कुत्ते के हमले की घटना ने एक बार फिर व्यवस्था की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिये हैं। अब असली सवाल यह है कि प्रशासन इस आदेश को कागजों से बाहर निकालकर जमीन पर कितनी जल्दी लागू करता है।

क्योंकि अगली घटना के बाद

फिर वही सवाल उठेगा कुत्ते ने काटा, लेकिन जिम्मेदारी किसने निभाई?

सुप्रीम कोर्ट ने अपना हिस्सा स्पष्ट कर दिया है। अब हिमाचल में नगर निकायों के साथ पंचायतों और जिला प्रशासन को बताना होगा कि उन्होंने अपने हिस्से की जिम्मेदारी कितनी निभाई। शहर हो या गांव, नागरिकों को अपने ही रास्ते पर कुत्तों के झुंड से डरकर चलना न पड़े यह किसी सरकार की कृपा नहीं, स्थानीय प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है।

रक्षा मंत्रालय की सूची में हिमाचल की तीन सड़कें शामिल

शिमला/शैल। चंबा के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों के लिए सड़क सुविधा मजबूत होने की उम्मीद जगी है। रक्षा मंत्रालय ने चंबा-किलाड़ सड़क को राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजना की सूची में शामिल किया है। इससे इस सड़क के निर्माण और रखरखाव में केंद्र की बड़ी भूमिका होगी। चुराह, पांगी और किलाड़ के लोगों के लिए इसे महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।

भाजपा राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि चंबा-किलाड़ सड़क को यह दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने लगातार केंद्र सरकार के सामने मामला उठाया। रक्षा मंत्रालय ने 13 अगस्त 2026 को देश की 11 रणनीतिक सड़क परियोजनाओं की सूची जारी की। इनमें हिमाचल की तीन सड़कें

शामिल हैं।

सूची में चंबा-किलाड़, खानागुंती-लामखागा दर्रा-हरसिल और वांगतु-मुड-अट्टरगू सड़कें प्राथमिकता-दो में रखी गई हैं। बाकी परियोजनाओं को प्राथमिकता-एक और दो में बांटा गया है।

चंबा-किलाड़ सड़क को डबल लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुसार विकसित करने की योजना है। रक्षा मंत्रालय के आदेश में नई सड़क बनाने और किलाड़ तक बन रही सड़क के साथ इसके रास्ते का तालमेल तय करने की बात कही गई है। इन परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए केंद्र के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत फंड की व्यवस्था होगी। सीमा सड़क संगठन भी इनके निर्माण में भूमिका निभाएगा।

चुराह और पांगी में कठिन

पहाड़ी रास्तों और भारी बर्फबारी के कारण सड़क संपर्क अक्सर प्रभावित होता है। सड़क बंद होने पर लोगों को इलाज, पढ़ाई, बाजार और जरूरी सामान के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। चंबा-किलाड़ सड़क के बेहतर होने से इन समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। बेहतर सड़क से स्थानीय लोगों की आवाजाही आसान होगी। व्यापार और पर्यटन को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

हर्ष महाजन ने कहा कि चंबा की सड़क व्यवस्था मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रही है। उनके अनुसार पठानकोट-चंबा-भरमौर सड़क को भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

के अधीन लाया गया है। इस सड़क पर सुरंगों, पुलों और अन्य कामों की योजना बनाई जा रही है तथा इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो रही है।

महाजन ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह आगे भी चंबा की सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े मुद्दे केंद्र के सामने उठाते रहेंगे।

अब सबसे अहम बात इस फैसले को जमीन पर उतारने की होगी। चुराह और पांगी के लोगों को उम्मीद है कि केंद्र के अधीन आने के बाद चंबा-किलाड़ सड़क का काम तेजी से आगे बढ़ेगा और उन्हें बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा।